छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

रायपुर, दिनांक 27/01/2005

क्रमांक एफ–10/ 1 /2005/वाक/पांच (1) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,–

सशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 40 के उपनियम (1) में शब्दों 'स्टेट बैंक ऑफ इंदौर" के स्थान पर शब्दों "यूटीआई बैंक लिमिटेड अथवा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन 01.12.2004 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 27/1/2005

क्रमांक एफ/10/1 /2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10/1/2005/वाक/पांच (1), दिनांक 27/1/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 27/01/2005

No.F-10/ 1 /2005/CT/V (1) - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, namely,-

AMENDMENT

In the said rules, in sub-rule (1) of rule 40, for the words "State Bank of Indore" the words "UTI Bank Limited or ICICI Bank Limited" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01.12.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29/01/2005

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(2) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (13) दिनांक 23.02.2004 में प्रविष्टि क्रमांक 25 में शब्दों "महुआ–बीज" के पश्चात् शब्द "सोयाबीन" जोड़ा जाएं।

2. यह संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29/01/2005

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/ — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(2) दिनांक 29/1/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29/01/2005

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(2) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments :-

AMENDMENT

In the notification number F-10/6/2004/CT/V(13) dated 23.0[illegible].2004, in entry number 25 after the words “Mahua-seed” the word “Soyabean” shall be inserted.

2. This amendment shall come into force with effect from the date of publishing on Chhattisgarh Rajpatra.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29/01/2005

क्रमांक एफ–10 / 2 /2005 / वाक / पांच (3) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिला सरगुजा में अम्बिकापुर–वाराणासी मार्ग पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन कर अपवंचन के निराकरण करने अथवा उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45–ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर जॉच चौकी 10.02.2005 की प्रभावशीलता से स्थापित करती है :

अनुसूची

अ. क्र.	जॉच चौकी एवं नाके का स्थान, नाम तथा वर्णन	जॉच चौकी एवं नाके की अवस्थिति
1.	सरगुजा जिले में अम्बिकापुर– वाराणासी मार्ग पर वाड्रफनगर	वाड्रफनगर में अम्बिकापुर–वाराणासी मार्ग पर अम्बिकापुर से 94वे एवं 95वे किलोमीटर के मध्य

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29/1/2005

क्रमांक एफ–10 / 2 /2005 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 2 /2005 / वाक / पांच (3), दिनांक 29/01/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29/01/2005

No. F-10/ 2 /2005/CT/V(3) – Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to do so with a view to prevent or check evasion of tax under the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) in the district of Surguja on Ambikapur-Varanasi route in the State of Chhattisgarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45-A of the said Act, the State Government hereby set-up check post with effect from 10.02.2005 at the place specified in the Schedule below :

SCHEDULE

S.No.	Name and description of place of check post and barrier	Location of check post and barrier
1.	Wadraf Nagar on Ambikapur-Varanasi Road in Surguja District	Wadraf Nagar on Ambikapur-Varanasi Road between 94^{th} and 95^{th} K.M. from Ambikapur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 24/03/2005

क्रमांक एफ–10/ 8 /2005/वाक/पांच (6) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,–

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 37 में, उपनियम (2) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :

"(क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है और जिसे तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, प्रत्येक तिमाही के क्रमशः द्वितीय और तृतीय महीने की 10 तारीख तक या उसके पूर्व ऐसी रकम का भुगतान करेगा, जो निम्न रकम के बराबर हो, –

(एक) उस तिमाही के प्रथम और द्वितीय महीने के लिए उसके द्वारा देय कर की वास्तविक रकम अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की तत्सम्बन्धी तिमाही के संबंध में जमा किए गए कर की एक तिहाई रकम, यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही बारह हजार रूपये या प्रतिवर्ष अड़तालीस हजार रूपये अथवा उससे अधिक की दर से कर का भुगतान करने का दायी है, तथा

(दो) उस तिमाही के प्रथम और द्वितीय महीने के लिए उसके द्वारा देय कर की वास्तविक रकम, यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही पच्चीस लाख रूपये या प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक की दर से कर का भुगतान करने के लिए दायी है,

परन्तु अंतिम तिमाही के अंतिम महीने हेतु खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट व्यापारी या तो पूर्व वर्ष की अंतिम तिमाही के संबंध में जमा किए गए कर की एक तिहाई के बराबर रकम या प्रथम 25 दिनों के लिए देय कर की वास्तविक रकम तथा खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट व्यापारी प्रथम 25 दिनों के लिए देय कर की वास्तविक रकम का भुगतान ऐसे अंतिम महीने के अंतिम दिन के पूर्व करेगा।"

ये संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 24/3/2005

क्रमांक एफ/10/8/2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10/8/2005/वाक/पांच (6), दिनांक 24/3/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 24/03/2005

No.F-10/ 8 /2005/CT/V (6) - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, namely,-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 37, for clause (a) of sub-rule (2) the following clause shall be substituted, namely :

"(a) Every registered dealer liable to pay tax under the Act and required to furnish quarterly return shall pay on or before the 10th of the second and third month respectively, of every quarter, an amount equal to, -

(i) actual amount of tax payable by him for the first and second month of that quarter or one third of the tax deposited in respect of the corresponding quarter of the preceding year, if he is liable to pay tax under the Act ordinarily at the rate of rupees twelve thousand per quarter or rupees forty eight thousand per annum or above, and

(ii) actual amount of tax payable by him for the first and second month of the quarter if he is liable to pay tax ordinarily at the rate of rupees twenty five lacs per quarter or rupees one crore per annum or above.

Provided that for the last month of the last quarter the dealer specified in clause (i) shall pay either an amount, equal to one third of the tax deposited in respect of the last quarter of the preceding year or the actual amount of tax payable for the first 25 days and the dealer specified in clause (ii) shall pay the actual amount of tax for the first 25 days before the last day of such last month.

(aa) the balance of the amount of tax due from him for a quarter, according to the returns, shall be paid on or before the date prescribed for furnishing for such return."

These amendments shall come into force from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/2005

क्रमांक एफ–10 / 9 / 2005 / वाक / पांच (7) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 392 / 2001 / वाक / पॉच (70), दिनांक 12.11.2001, में 01.04.2005 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) (क) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31/3/2005

क्रमांक एफ–10 / 9 / 2005 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 9 / 2005 / वाक / पांच (7), दिनांक 31/3/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31/03/2005

No. F-10/ 9 /2005/CT/V (7) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001, with effect from 01-04-2005, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (4)(a) against serial No. 1 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words " categories (iv)" the words " other than rounds or rods in coil form " shall be inserted.

(iii). In column (2) against serial No. 3 after the words " categories (iv)" the words " other than rounds or rods in coil form " shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31-3-2005

क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच/(10) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (13) दिनांक 23.02.2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 12 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि विलोपित की जाए।

2. यह संशोधन 01.04.2005 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 31-3-2005

क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच/ ——भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच (10) दिनांक 31.3.05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31-3-2005

No.F-10/10/2005/CT/V(10) - In exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the notification number F-10/6/2004/CT/V (13) dated 23.02.2004 :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, serial number 12 and entry relating thereto shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.04.2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

KRMisra

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31-03-2005

क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच (14) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना कमांक ए–5–1–94–विक–पॉच (22) दिनांक 01.04.1995 में निम्नानुसार संशोधित करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि कमांक 10 में शब्दों "एच.डी.पी.ई. बैग्स" के पश्चात् शब्दों "या प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर" जोड़ा जाए।

2. यह संशोधन 01.04.2005 से प्रभावशील होगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31-03-2005

कमांक. एफ–10/10/2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच (14), दिनांक 31-3-05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31-03-2005

No. F-10/10/2005/CT/V (14) - In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in the notification No. A-5-1-94-ST-V (22), dated 01.04.1995: -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in serial number 10 after the words "HDPE bags" the words "or plastic moulded furniture." shall be inserted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.04.2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31-3-2005

क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच (15) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है; अतएव

(i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17,

(ii) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर को छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 5, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 3 तथा छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से 01.04.2005 की प्रभावशीलता से छूट प्रदान करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31-03-2005

क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच (15), दिनांक 31-03-05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31-03-2005

No. F-10/ 10 /2005/CT/V(15) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by, -

(i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995),
(ii) Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), and
(iii) Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995)

the State Government hereby exempts Ramakrishna Mission Vivekanand Ashram, Raipur from the provisions of Section 5 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, Section 3 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam and Section 3 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam with effect from 01.04.2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

kmisra
(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31-3-2005

क्रमांक एफ–10/ 16 /2005/वाक/पांच/(16) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2005" के स्थान पर अंक "2006" प्रतिस्थापित किए जाएं :–

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	ए–3–35–99–विक–पॉच (64)	10.07.1999
2.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (28)	13.04.2000
3.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (29)	13.04.2000
4.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (30)	13.04.2000
5.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (36)	17.04.2000
6.	ए–3–20–2000–विक–पॉच (43)	04.05.2000
7.	ए–3–10–2000–विक–पॉच (54)	29.07.2000
8.	एफ–10–10–2001–वाक–पॉच (4)	30.03.2001
9.	एफ–10–332–2001–वाक–पॉच (37)	10.08.2001
10.	एफ–10–392/2001/वाक/पॉच (70)	12.11.2001
11.	एफ–10–7/2002/वाक/पॉच (3)	23.01.2002
12.	एफ–10–4/2003/वाक/पॉच (4)	16.01.2003
13.	एफ–10/23/2003/वाक/पॉच (25)	03.04.2003
14.	एफ–10/23/2003/वाक/पॉच (26)	03.04.2003
15.	एफ–10/39/2003/वाक/पॉच (50)	23.05.2003
16.	एफ–10/71/2003/वाक/पॉच (101)	06.10.2003
17.	एफ–10/75/2003/वाक/पॉच (106)	29.12.2003
18.	एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (13)	23.02.2004

19.	एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (14)	23.02.2004
20.	एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (15)	23.02.2004
21.	एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (20)	23.02.2004
22.	एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (61)	23.07.2004

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 31-3-2005

क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच/—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/10/2005/वाक/पांच/(16) दिनांक 31-03-05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31-03-2005

No.F-10/ 10 /2005/CT/V(16) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENTS

1. In the notifications given below for the figure related to period "2005", the figure "2006" shall be substituted: -

S.No.	Notification No.	Date
1.	A-3-35-99-ST-V (64)	10.07.1999
2.	A-3-28-2000-ST-V (28)	13.04.2000
3.	A-3-28-2000-ST-V (29)	13.04.2000
4.	A-3-28-2000-ST-V (30)	13.04.2000
5.	A-3-28-2000-ST-V (36)	17.04.2000
6.	A-3-20-2000-ST-V (43)	04.05.2000
7.	A-3-10-2000-ST-V (54)	29.07.2000
8.	F-10-10-2001-CT-V (4)	30.03.2001
9.	F-10-332-2001-CT-V (37)	10.08.2001
10.	F-10-392/2001/CT/V (70)	12.11.2001
11.	F-10-7/2002/CT/V (3)	23.01.2002
12.	F-10/4/2003/CT/V (4)	16.01.2003
13.	F-10/23/2003/CT/V (25)	03.04.2003
14.	F-10/23/2003/CT/V (26)	03.04.2003
15.	F-10/39/2003/CT/V (50)	23.05.2003
16.	F-10/71/2003/CT/V (101)	06.10.2003
17.	F-10/75/2003/CT/V (106)	29.12.2003
18.	F-10/6/2004/CT/V (13)	23.02.2004
19.	F-10/6/2004/CT/V (14)	23.02.2004

20.	F-10/6/2004/CT/V (15)	23.02.2004
21.	F-10/6/2004/CT/V (20)	23.02.2004
22.	F-10/6/2004/CT/V (61)	23.07.2004

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 11 /2005/वाक/पांच/(18) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10–16/2002/वाक/पांच (15) दिनांक 12.02.2002 में 01.04.2005 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

1. अनुक्रमांक 1 के सामने कालम 3 में शब्दों "धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर" के स्थान पर शब्दों "अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए" प्रतिस्थापित किया जाए।
2. अनुक्रमांक 2 के सामने कालम 4 में विनिर्दिष्ट शर्त कमांक (2) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाए–
"निर्मित माल का विकय छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुकम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विकय किया जाएगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 11 /2005/वाक/पांच/–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/11 /2005/वाक/पांच (18) दिनांक 01.04.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 01-04-2005

No.F-10/ 11 /2005/CT/V(18) - In exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the notification number F-10-16/2002/CT/V (15) dated 12.02.2002, with effect from 01.04.2005, namely:-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification-

1. In column 3 against serial number 1 for the words "whole of tax under section 9" the words "partly so as to reduce the rate of tax under section 9 to 2 percent" shall be substituted.
2. at the end of condition number (2) specified in column (4) against serial number 2, the following sentence shall be inserted-
   "The finished product shall be sold in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 01.04.2005

क्रमांक एफ–10/ 12/2005/वाक/पांच (21) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2006 तक की अवधि के लिए, कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :–

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बंधन तथा शर्ते जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदाय की गई
1	2	3	4
1.	पुरानी कार जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयत हो	धारा 9 के अधीन अंशतः जिससे कर की राशि घटकर रू0 750/– प्रति कार हो जाये	जब अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा पुरानी कार क्रय कर सुधार या मरम्मत पश्चात् बेची जाए।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 01.04.2005

क्रमांक. एफ–10/ 12 /2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/12/2005/वाक/पांच (21), दिनांक 01.04.2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 01-04-2005

No.F-10/ 12 /2005/CT/V (21) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period from 01.04.2005 to 31.03.2006, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
1	2	3	4
1.	Second-hand car which is registered under Motor Vehicle Act, in the Chhattisgarh State	Partly so as to reduce the amount of tax to Rs. 750/- per car	When second-hand car purchased by a registered dealer under the Adhiniyam and sold after reconditioning or repair

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 20/04/2005

क्रमांक एफ–10/16/2005/वाक/पांच (27) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए–3–28–2000–विक–पॉच (28), दिनांक 13.04.2000 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 51 के पश्चात निम्न प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए:–

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
52.	अधिनियम में संलग्न अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	जब एक पंजीयत व्यापारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र शिशु कोष (UNICEF) को अधिकारिक उपयोग हेतु संलग्न प्रारुप में घोषणा पत्र के विरूद्ध विक्रय किया जाए

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 20/04/2005

क्रमांक. एफ–10/16/2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/16/2005/ वाक/पांच(27), दिनांक 20/4/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 20/04/2005

No. F-10/ 16/2005/CT/V (27) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. A-3-28-2000-ST-V (28), dated 13.04.2000 with effect from the date of publication in official gazette:-

AMENDMENT

In the schedule to the said notification after entry No. 51 the following entry shall be inserted: -

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and Conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
52.	Goods specified in Schedule II appended to the Adhiniyam	Whole of tax under section 9	When sold by a registered dealer to the United Nations Children's Fund for the purpose of official use. against the declaration in the appended form.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक **07/05/2005**

क्रमांक एफ–10/**10**/2005/वाक/पांच (**28**) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विर्निदिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 01.06.2005 से 31.03.2006 तक छूट प्रदान करती है:–

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	सभी प्रकार के पी.वी.सी. या रबर से निर्मित फुटवियर तथा उनके स्ट्रेप्स, जिनका अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य प्रतिजोड़ा रू0 100/– से अधिक न हो	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक **07/05/2005**

क्रमांक एफ–10/ **10** /2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/**10** /2005/वाक/पांच (**28**), दिनांक **7/5/2005** का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 07/05/2005

No. F-10/ 10 /2005/CT/V(28) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) from 01.06.2005 to 31.03.2006 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	All kinds of footwear made of P.V.C. or rubber and straps thereof, the maximum retail sale price of which does not exceed Rs. 100/- per pair.	Whole of tax under Section 9

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक **07/05/2005**

क्रमांक एफ–10/ **17** /2005/वाक/पांच (**29**) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक 01.06.2005 से 31.03.2006 तक की अवधि के लिए, कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	निर्बंधन तथा शर्ते जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदाय की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	औषधि तथा औषध	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत तथा धारा 10–क के अधीन अधिभार से पूर्णतः मुक्त हो जाए	(1) जब अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम विक्रय करने वाले व्यवसायी द्वारा बेचा जाए, जो समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को संलग्न प्रारूप में कालम (2) में वर्णित माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर चुकाने का वचन देता है। उक्त वचन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर अथवा अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जो भी पहले हों दिया जावेगा । (2) व्यवसायी द्वारा ऐसे घोषणा पत्र की एक प्रति तिमाही विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी। (3) व्यवसायी द्वारा विक्रय बिल/बीजक में अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शित किया जाएगा।

–2.

घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....)

मैं .... (व्यापारी का नाम) .... (पता) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र क्रमांक ....का धारक व्यापारी, जिसका कारोबार का प्रमुख स्थान .... में है तथा कारोबार का अतिरिक्त स्थान .... में है, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि .... प्रारंभ होने तथा .... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मैं औषधि तथा औषध के मेरे सम्पूर्ण विक्रय के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन देयकर जमा करूंगा।

तारीख : ....

स्थान : ....

व्यापारी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक **07/05/2005**

क्रमांक एफ–10/ **17**/2005/वाक/पांच/ -- -भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ **17** /2005/वाक/पांच/(**29**) दिनांक **07/05/2005** का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated **07/05/2005**

No.F-10/ **17** /2005/CT/V (**29**) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period from 01.06.2005 to 31.03.2006, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule:-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drugs and Medicines	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent and exempt in whole surcharge under section 10-A	(1) When sold by a registered dealer under the Adhiniyam effecting first sale in the state of Chhattisgarh, who gives an undertaking to pay tax on Maximum Retail Price of the goods mentioned in column (2) in the appended form to the appropriate Commercial Tax Officer. Such undertaking shall be furnished within 30 days of publication of this notification in official gazette or within 30days of obtaining registration under the Adhiniyam, which ever is earlier. (2) The dealer shall enclose a copy of such declaration along with the quarterly return. (3) The dealer shall show maximum retail price in the sale bill / invoice.

DECLARATION

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I .... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, having principal place of business at .... and * additional place of business at .... hereby declare that, I shall deposit tax payable under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam on the Maximum Retail Price of all my sales of Drugs and Medicines during the period commencing from .... and ending on ....

Place ....

Date ....

Signature of the dealer

* Strike out whichever is not applicable

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

1

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक **07/05/2005**

क्रमांक एफ–10/ 17/2005/वाक/पांच (30) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक 01.06.2005 से 31.03.2006 तक की अवधि के लिए, कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदाय की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	औषधि तथा औषध	धारा 9–ख के अधीन पूर्णतः कर	(1) जब उस माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर राज्य में कर का भुगतान किया जा चुका है और उसका विकय अधिनियम के अधीन पंजीयत ऐसे व्यवसायी द्वारा किया जाता है जो कि छूट के लिए अपने दावे के समर्थन में कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को उस माल के कय के संबंध में संलग्न प्रारूप में विकय करने वाले पंजीयत व्यवसायी से प्राप्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। (2) विकय करने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा उक्त घोषणा पत्र की 4 कार्बन प्रतियां तैयार की जावेगी । मूल प्रति केता पंजीयत व्यवसायी को दी जावेगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति विकेता/केता पंजीयत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जावेगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी करने वाले व्यवसायी द्वारा रखी जावेगी। समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों की प्रति विकेता/केता पंजीयत व्यवसायी के संबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जावेगी।

प्रारूप
घोषणा

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम) पता .... छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... का धारक व्यापारी, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि, मैंने नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल का विकय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... धारक व्यापारी, को किया गया है।

* उक्त माल के विकय पर मेरे द्वारा अधिसूचना कमांक .... दिनांक .... के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य पर वाणिज्यिक कर जमा किया जाएगा।

अथवा

* उक्त माल मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... धारक व्यापारी .... (व्यापारी का नाम तथा पता) से कय किया गया है, जिसके द्वारा अधिसूचना कमांक .... दिनांक .... के अधीन माल के अधिकतम खुदरा मूल्य पर वाणिज्यिक कर जमा किया जाएगा।

विकय किये गये माल का विवरण

* विकय बिल/इनवाइस/केशमेमों/चालान का विवरण कमांक दिनांक	विकय किये गये माल की विशिष्टियां	मात्रा	मूल्य (रू. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
		योग	

कुल मूल्य (अंकों में) रू. .... (शब्दों में) रूपये .... मात्र

स्थान :–
दिनांक :–

....
व्यवसायी के हस्ताक्षर
पदनाम

* जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 7/5/05

क्रमांक. एफ–10/ 17/2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/17/2005/वाक/पांच (30), दिनांक 7/5/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 07/05/2005

No. F-10/17 /2005/CT/V (30) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period from 01.06.2005 to 31.03.2006, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule:-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drugs and Medicines	whole of tax under section 9-B	(1) When tax has been paid on the maximum retail price of such goods in the state and such goods are sold by a registered dealer under the Adhiniyam who in support of his claim for exemption, furnishes a declaration to the assessing authority at the time of assessment in the appended form obtained from the selling registered dealer. (2) The said declaration shall be prepared by the selling registered dealer in four carbon copies. The original shall be issued to the purchasing registered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate Commercial Tax Officer of the selling / purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The appropriate Commercial Tax Officer shall file the copy of declarations in the assessment case record for the relevant period of the selling / purchasing registered dealer.

DECLARATION

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I .... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, hereby declare that I have sold the goods, particulars of which have been given below to .... (Name and Address of dealer) holding registration certificate number .... under the said Adhiniyam.

* I shall deposit Commercial Tax on the Maximum Retail Price on sale of such goods under notification number .... dated ....

OR

* The aforesaid goods have been purchased by me from .... holding registration number .... under the said Adhiniyam who shall deposit Commercial Tax on maximum retail price of goods under notification number .... dated ....

Particulars of goods sold

* Particulars of bill/invoice/cash memo/challan No. Dt.	Description of goods sold	Quantity	Value (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Total	

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only

Place :
Date:

....
Signature of dealer
Status

*** Strike out whichever is not applicable.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(signature)
(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 2/9/2005

क्रमांक–एफ 10/26/2005/वाक./पांच (42)– चूंकि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1939/एफ 10/365/2001/वाक./पांच (48), दिनांक 06.09.2001 एवं अधिसूचना क्रमांक 1940/एफ–10/365/2001/वा.कर/पांच (49), दिनांक 06.09.2001 में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) अधिसूचना क्रमांक ए–3–11–86–विक.–पांच (74), दिनांक 16.10.86 के उपाबंध –दो की कंडिका 4 की उप–कंडिका (घ),

(दो) अधिसूचना क्रमांक ए–3–24–94–विक–पांच (108), दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 के उपाबंध–दो की कंडिका 4 (घ),

(तीन) अधिसूचना क्रमांक ए–3–30–91–विक–पांच (7), दिनांक 15 जनवरी, 1992 के उपाबंध–दो की कंडिका 6 (घ), एवं

(चार) अधिसूचना क्रमांक ए–3–14–92–विक–पांच (50), दिनांक 3 जून, 1993 के उपाबंध–एक की कंडिका 4

में, उल्लेखित वर्तमान "राज्य स्तरीय समिति" के स्थान पर निम्नलिखित "राज्य स्तरीय समिति" प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् –

1	आयुक्त वाणिज्यिक कर	अध्यक्ष
2	उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग	सदस्य सचिव
3	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य

2. उपरोक्त संशोधन अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

रायपुर, दिनांक 2/9/2005

क्रमांक–एफ 10/26/2005/वाक./पांच – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/26/2005/वाक./पांच (42), दिनांक 2/9/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commerical Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

// NOTIFICATION //

Raipur, Dated 2 / 9 / 2005

No. F-10-26/ 2005/ CT./ V (42)- Whereas, the State Government is Satisfied that it is necessary so to do in the public interest,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) and sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby makes the following further amendments in the notifications specified in this department's notifications no.1939/ F-10/ 365/ 2001/ CT/ V (48), dated 06-09-2001 and no. 1940/ F-10/ 365/ 2001/ CT/ V (49), dated 06-09-2001, namely -

AMENDMENT

The existing State Level Committee mentioned in, -

(i) the Annexure II, for sub-para (d) of para 4 of the notification A-3-11-86-ST-V (74), dated 16th Oct., 1986,

(ii) para 4 (d) of the Annexure II of the notification A-3-24-94-ST-V(108), dated 6th Oct. 1994,

(iii) para 6 (d) of the Annexure II of the notification A-3-30-91-ST-V (7), dated 15th Jan. 1992 and

(iv) para 4 of the Annexure I of the notification A-3-14-92-ST-V (50), dated 3rd June, 1993.

Shall be substituted by the following State Level Committee namely -

1	Commissioner of Commercial Tax	Chairman
2	Industries Commissioner/Director, Industries	Member Secretary
3	Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation	Member

2. Above amendments shall be effective from the date of issue of notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

[signature]

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2005

क्रमांक एफ–10/19/2005/वाक/पांच/(45) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (13) दिनांक 23.02.2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अनुक्रमांक 1 के सामने कॉलम 2 में शब्दों "अनुसूची–2 के भाग–पॉच के अनुक्रमांक 19 एवं 20 में विनिर्दिष्ट अनाज तथा दालें" के स्थान पर शब्दों "धान को छोड़कर अनुसूची–2 के भाग–पॉच के अनुक्रमांक 19 एवं 20 में विनिर्दिष्ट अनाज तथा दालें" को प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन 01.10.2005 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 21 सितम्बर, 2005

क्रमांक एफ–10/19/2005/वाक/पांच/—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/19/2005/वाक/पांच/(45) दिनांक 21/9/2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 21/09/2005

No.F-10/ 19 /2005/CT/V(45) - In exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendment in the notification number F-10/6/2004/CT/V (13) dated 23.02.2004 -

AMENDMENT

In Schedule to the said notification in column 2 against serial number 1 for the words "Cereals and pulses as specified in serial number 19 and 20 of part V of Schedule-II", the words "Cereals and pulses excluding paddy as specified in serial number 19 and 20 of part V of Schedule-II" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from 01-10-2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K. R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 17/10/2005

क्रमांक एफ–10/ 7 /2003/वाक/पांच/(46) -- चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (कमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना कमांक ए–3–14–92–विक–पॉच (50), दिनांक 30 जून, 1993, में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में कंडिका 2 में अंक "18" के स्थान पर अंक "23" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 17/10/2005

कमांक एफ–10/7 /2003/वाक/पांच/ ---भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/7 / 2003/वाक/पांच (46), दिनांक 17/10/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 17/10/2005

No. F-10/7 /2003/CT/V(46) Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-14-92-ST-V (50), dated 3rd June, 1993,: -

AMENDMENT

In the said notification, in paragraph 2 for the figure "18" the figure "23" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 17/10/2005

क्रमांक एफ–10/ 19 /2005/वाक/पॉच(48) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन 01.10.2005 से 31.03.2006 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :–

<u>अनुसूची</u>

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	धान	धारा 10 के अधीन संपूर्ण कर	जब धान का उपयोग पोहा, मुरमुरा या लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाए।
(2)	धान	धारा 10 के अधीन संपूर्ण कर	जब धान का उपयोग चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाए तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाए।
(3)	धान	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	जबकि धान का विक्रय अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसाई द्वारा ऐसे दूसरे व्यवसाई को संलग्न प्ररूप घोषणा पत्र के विरूद्ध इस आशय हेतु किया जाए कि:– (क) धान का उपयोग पोहा, मुरमुरा या लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा, अथवा (ख) धान का उपयोग चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाएगा।

–2–

प्ररूप
घोषणा–पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....के अधीन)

मैं...(व्यापारी का नाम) पता.. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... का धारक व्यापारी एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार धान का कय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक ....धारक व्यापारी से किया है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उक्त धान का उपयोग मेरे द्वारा –

* पोहा/मुरमुरा/लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जायेगा।

अथवा

* चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा तथा निर्मित माल का विकय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुकम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुकम में किया जाएगा।

क्रय का विवरण

विकय बिल/बीजक/ कैश मेमो/चालान का विवरण क्रमांक	दिनांक	क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रूपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल मूल्य (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... मात्र।

स्थान ....
दिनांक ....

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

* जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 17/10/2005

क्रमांक. एफ–10/ 19 /2005/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/19 /2005/ वाक/पांच (48), दिनांक 17/10/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 17/10/2005

No. F-10/ 19 /2005/CT/V(48) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995, the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) for the period from 01-10-2005 to 31-03-2006:-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Paddy	Whole of tax u/s. 10	When paddy is used as raw material in the manufacture of poha, murmura or lai.
(2)	Paddy	Whole of tax u/s. 10	When paddy is used as raw material in the manufacture of rice and finish goods is sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.
(3)	Paddy	Whole of tax u/s. 9	When paddy is sold by a dealer registered under the Adhiniyam to another such dealer against a declaration in the appended form to the effect that- (a) paddy shall be used as raw material in the manufacture of poha, murmura or lai, or (b) paddy shall be used as raw material in the manufacture of rice and finish goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

—2

APPENDIX
Declaration

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, hereby declare that I have purchased paddy, particulars of which have been given below from .... (Name and Address of the dealer) holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam.

2. I further declare that the said paddy shall be used by me -

* as raw material in the manufacture of poha / murmura / lai.

OR

* as raw material in the manufacture of rice and finish goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

Particulars of purchase

Particulars of Bill/Invoice/ Cash memo/Challan No.	Date	Description of goods purchased	Quantity	Value (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....

Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status.

*** strike out whichever is not applicable.**

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh.

kRmisra

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 26/12/2005

क्रमांक एफ–10/42/2005/वाक/पांच (54) – चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि :–

(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनका करनिर्धारण सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाना है;

(2) ऐसे व्यवसाईयों एवं उनके करनिर्धारण प्रकरणों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप ऐसे व्यवसाईयों का उक्त अधिनियमों के अधीन करनिर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि नही हुई है;

(3) ऐसे सभी व्यवसाईयों जिनकी करनिर्धारण कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैन्डर वर्ष 2005 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कलैन्डर वर्ष 2005 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है;

(4) ऐसे सभी व्यवसाईयों का सही करनिर्धारण गुण–दोष के आधार पर उक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

(5) उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे करनिर्धारण की कार्यवाहियों को कलैन्डर वर्ष 2005 के अंत तक पूर्ण किये जाने के प्रयासों के उपरांत भी उक्त अवधि के अंत तक ऐसी कार्यवाहियां पूर्ण किया जाना संभव नही है;

(6) उपरोंक्त कार्यवाहियों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः ..2.

अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक व्यवसाई के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण नही की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 28 फरवरी, 2006 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 26/12/2005

क्रमांक एफ–10 / 42 / 2005 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 42 / 2005 / वाक / पांच (54), दिनांक 26/12/05 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 26/12/2005

No. F-10/ 42 /2005/CT/V(54) -Whereas, the State Government is satisfied that,-

(I) There has been considerable increase in the number of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), who are to be assessed by Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer;

(II) There has been no increase in the number of authorities competent to make assessment of such dealers under the said Acts, commensurate with the increase in the number of such dealers and their assessment cases;

(III) The assessment proceedings of all such dealers due for completion by the end of the calendar year 2005 under the provisions of sub-section (8) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before the expiry of the calendar year 2005;

(IV) Correct assessment of such dealers, on merits have to be made by the said authorities after affording them a reasonable opportunity of being heard;

(V) Despite efforts being made by the said authorities to complete such assessment proceedings by the end of the calendar year 2005 such proceedings cannot be completed by end of the said period; and

(VI) The aforesaid proceedings need to be completed.

contd.-2

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 28th February, 2006, the period for completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by the 31st December, 2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(K.R. Misra)
Joint secretary